

न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 धा0	निर्णय दिनांक
35/20	21.09.20	91 एल0आर0 एक्ट	22.12.2020

सरकार बनाम शिशपाल पुत्र झुंगा राम जाति-जाट, निवासी-नारसरा तहसील फतेहपुर


22.12.2020 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बांठोद ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि मोजा ग्राम नारसरा के राजकीय भूमि ख0न0 189 रकबा 15.32 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 पर सुखा पुत्र परतु जाति-जाट, निवासी-नारसरा तहसील फतेहपुर ने बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का बांठोद के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया । गैरसायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया । गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 15.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । गैर सायल के विरुद्ध पटवारी हल्का बांठोद की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.12.2020 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।


रिपोर्ट पटवारी हल्का बांठोद एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल शिशपाल पुत्र झुंगा राम जाति-जाट, निवासी-नारसरा तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि ख0न0 189 रकबा 15.32 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है । भू0अ0नि0 फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.25 रु का 50 गुणा तावान की कुल राशि 13/- रुपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते हैं । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

टा.ले 4 वर्ष 20-21 पर
पृष्ठ सं. 29 पर
राशि 13/- कायम अर्थात्
8000
TAM




 तहसीलदार
 तहसील फतेहपुर सीकर
 फतेहपुर (सीकर)